न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 607 / 2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

1. मदनलाल पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. बुजलाल पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. चन्दूराम पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. हेतराम पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. शारदा देवी पुत्री श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. सरस्वती देवी पुत्री श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्रीमती गोमती पुत्री स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया
8. तहसीलदार(राजस्व) सुरतगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री महावीर बैरड़ वकील वादी
2– श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रति सं. 1 ता 6
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 7
4– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या–8

निर्णय

दिनांक :– 12-01-2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वादीगण के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादीगण की सगी बहिने एवं प्रतिवादी सं. 6 वादीगण का सगा भानजा है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वादीगण के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादीगण की सगी बहिने एवं प्रतिवादी सं. 6 वादीगण का सगा भानजा है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 आपस में सगे भाई है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 155 / 44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.808 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसके अलावा तहसील सुरतगढ़ के चक 4 बी.के.एम. के खाता सं. 68 / 44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से 6.325 है. कृषि भूमि, तहसील सुरतगढ़ के चक 1 आर.जे.एम. के खाता सं. 60 / 74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 6.135 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार एवं तबादलानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने, जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य अच्छी–मन्दी एवं रास्ता खाला की सुविधानुसार कृषि भूमि के एकीकरण के लिये राजीनामा, बंटवारा एवं तबादला करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 4 ता 6 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य हुए बंटवारा एवं तबादलानुसार कर दिया। अब प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है:–

(क) वादीगण मदनलाल एवं बृजलाल पुत्रगण स्व. श्री हजारीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/196	21	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 24/0.063 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
139/196	22	21/0.253 है.
139/197	25	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/3/0.044 है., 2/4/0.006 है., 8,9/0.253 है.प्र., 12/1/0.228 है. कुल 1.859 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 बी.के.एम. खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
99/29 37	1,2,9,10,11,12,19,20,21,22/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है. कृषि भूमि	

चक 1 आर.जे.एम. खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
101/36	84	4/1/0.051 है., 4/2/0.202 है., 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है., 6,7,14,15,16,17/0.253 है.प्र., 24/1/0.215 है., 25/1/0.215 है. कुल 2.454 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः ओमप्रकाष, चन्दूराम एवं हेतराम पुत्रगण स्व. श्री हजारीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/196	22	8,13/0.253 है.प्र.
138/196	21	23/0.253 है.,24/0.190 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) कुल 0.949 है. कृषि भूमि

चक 4 बी.के.एम. खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
99/29	37	3ता8,13ता18,23,24,25/0.253 है.प्र. कुल 3.795 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 हेतराम पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 1 आर.जे.एम. खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
101/36	84	1,2,3/0.253 है.प्र., 8/1/0.177 है., 8/2/0.076 है., 9/1/0.228 है., 9/2/0.025 है., 10/0.253 है., 11/1/0.076 है., 11/2/0.177 है., 12/1/0.240 है., 12/2/0.013 है., 13/0.253 है., 18ता20/0.253 है.प्र., 21/1/0.215 है., 22/1/0.215 है., 23/1/0.215 है. कुल 3.681 है.

कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त पारिवार की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण बंटवारा एवं तबादलानुसार खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवा खाता अलग

कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण बंटवारा एवं तमादलनुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा खाता अलग कायम करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 7 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आशय से फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.808 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.859 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 0.949 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हिस्सा घटाया, बढ़ाया जावे तथा इसके अलावा तहसील सूरतगढ़ के चक 4 बी.के.एम. के खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से 6.325 है. कृषि भूमि में से दादीगण को 2.530 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 3.795 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जावे तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 1 आर.जे.एम. के खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 6.135 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.454 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे एवं वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिपोदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ संगरिया तहसील के चक 8 एमएमके खाता संख्या 155/44 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 व सूरतगढ तहसील के चक 4 बीकेएम खाता संख्या 68/44 जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 एवं सूरतगढ तहसील के चक 1 आर. जे. एम. खाता संख्या 60/74 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 की जमाबन्दी पेश की गई। साक्ष्य वादी में वादी मदनलाल ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 8 एमएमके खाता संख्या 155/44 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 व सूरतगढ तहसील के चक 4 बीकेएम खाता संख्या 68/44 जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 एवं सूरतगढ तहसील के चक 1 आर. जे. एम. खाता संख्या 60/74 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाबदावे भी पेश हो चुके है एवं वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अपने वाद निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुलाभ डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 8 एमएमके खाता संख्या 155/44 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व सूरतगढ तहसील के चक 4 बीकेएम खाता संख्या 68/44 जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 एवं सूरतगढ तहसील के चक 1 आर. जे. एम. खाता संख्या 60/74 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है:–

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 2.808 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 1.859 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 0.949 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हिस्सा घटाया, बढ़ाया जावे, तथा इसके अलावा तहसील सुरतगढ़ के चक 4 बी.के.एम. के खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से 6.325 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.530 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को 3.795 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 का नाम कलमजन किया जावे तथा तहसील सुरतगढ़ के चक 1 आर.जे.एम. के खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 6.135 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.454 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम करने तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

(क) वादीगण मदनलाल एवं बृजलाल पुत्रगण स्व. श्री हजारीलाल समस्त जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/196	21	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 24/0.063 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
139/196	22	21/0.253 है.
139/197	25	1/1/0.215 है., 1/2/0.038 है., 2/3/0.044 है., 2/4/0.006 है., 8,9/0.253 है.प्र., 12/1/0.228 है. कुल 1.859 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 बी.के.एम. खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
99/29 37	1,2,9,10,11,12,19,20,21,22/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है. कृषि भूमि	

चक 1 आर.जे.एम. खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
101/36	84	4/1/0.051 है., 4/2/0.202 है., 5/1/0.215 है., 5/2/0.038 है., 6,7,14,15,16,17/0.253 है.प्र., 24/1/0.215 है., 25/1/0.215 है. कुल 2.454 है. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(छ) प्रतिवादी सं. 1 ता 3 क्रमशः ओमप्रकाश, चन्दूराम एवं हेतराम पुत्रगण स्व. श्री हजारीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 155/44 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/196	22	8,13/0.253 है.प्र.
138/196	21	23/0.253 है.,24/0.190 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) कुल 0.949 है. कृषि भूमि

चक 4 बी.के.एम. खाता सं. 68/44 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
99/29	37	3ता8,13ता18,23,24,25/0.253 है.प्र. कुल 3.795 है. कृषि भूमि

(झ) प्रतिवादी सं. 3 हेतराम पुत्र स्व. श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 1 आर.जे.एम. खाता सं. 60/74 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
101/36	84	1,2,3/0.253 है.प्र., 8/1/0.177 है., 8/2/0.076 है., 9/1/0.228 है., 9/2/0.025 है., 10/0.253 है., 11/1/0.076 है., 11/2/0.177 है., 12/1/0.240 है., 12/2/0.013 है., 13/0.253 है., 18ता20/0.253 है.प्र., 21/1/0.215 है., 22/1/0.215 है., 23/1/0.215 है. कुल 3.681 है.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया